



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

No. 663]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 964(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 17 के साथ पठित धारा 53, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2013 का 13) की धारा 17 और धारा 18 तथा संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 है।
(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. **परिभाषाएं.**—(1) (क) “प्राधिकारी” से बोर्ड, राज्य कर नोडल प्राधिकारी, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और संबंधित राज्यों के लेखांकन प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;
(ख) “बोर्ड” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;
(ग) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
(घ) “इनपुट कर प्रत्यय” से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;
(ड.) “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसके अन्तर्गत विशिष्ट पहचान संख्या वाला व्यक्ति नहीं है।
(च) “रिपोर्ट” से इन नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट या अन्यथा दी जाने के लिए अपेक्षित कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है;
(छ) “राज्य लेखांकन प्राधिकारी” से संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित लेखांकन प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) “राज्य कर नोडल प्राधिकारी” से संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा यथा अधिसूचित किसी राज्य का कराधान प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में उनके हैं।

3. रिपोर्टों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजना:—

- (1) माल और सेवा कर नेटवर्क निम्नानुसार प्राधिकारियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टें प्रेषित करेगा:
- (2) उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्टें निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएंगी:
 - (क) मासिक रिपोर्टों की दशा में उस मास की 25 तारीख तक जिसमें माल और सेवा कर विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं; और
 - (ख) गैर-अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित रिपोर्ट की दशा में, वार्षिक रिपोर्टों की दशा में, पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के 25 अक्टूबर तक:

यदि उस मास की 25 तारीख को अवकाश है तो रिपोर्ट को अवकाश के पश्चात प्रथम कार्य दिवस तक भेजा जाएगा:

परंतु यह और कि यदि विवरणी फाइल करने की तारीख बढ़ाई जाती है, तो तदनुसार निपटान रिपोर्ट के सृजन की तारीख को बढ़ा दिया जाएगा और यदि सितंबर के लिए विवरणी विलंब से फाइल की जाती है तो गैर-अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित रिपोर्ट को तदनुसार भेजा जाएगा।

4. एकीकृत कर का केन्द्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) के बीच या केन्द्रीय (एकीकृत कर) और केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) के बीच प्रति-उपयोग और संविभाजन की रिपोर्ट—

- (1) केन्द्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) के बीच या केन्द्रीय (एकीकृत कर) और केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) के बीच किए जाने वाले निधियों के अंतरण से संबंधित ब्यौरे माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के प्राधिकारियों को प्ररूप, जीएसटी एसटीएल 01.01 से जीएसटी एसटीएल-01.12 तक में निम्नानुसार भेजे जाएंगे—
 - (क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.01 में, प्रत्येक राज्य के लिए मासिक समेकित विवरण जिसमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 और संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात राज्य माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) संघ राज्य-क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 21 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रत्यय के प्रति-उपयोग के कारण, केन्द्रीय (एकीकृत कर) से राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) को या विलोमतः और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में यथा उपबंधित संविभाजन के कारण केन्द्रीय (एकीकृत कर) राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) को अंतरित होने वाली कुल राशि से संबंधित खंड (ख) में निर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे;
 - (ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.01 में, अंतर्विष्ट सूचना से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे रखने वाली मासिक रिपोर्टें निम्नानुसार हैं:—
 - (i) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 01.02 में, राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 और यथास्थिति राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 (इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रति-उपयोग सहित), यथा उपबंधित, में राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय से एकीकृत कर के दायित्व को समायोजित किया है।

टिप्पण : केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय से और राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय से प्रदत्त एकीकृत कर का सार क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और 2.01 के स्तम्भ 3 में दर्शाया जाएगा;

- (ii) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.03 में, राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 में यथा उपबंधित राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर, यथास्थिति, के दायित्व को समायोजित किया है।

टिप्पण : एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय से संदत्त राज्य कर/ संघ राज्य-क्षेत्र कर का सार प्ररूप जीएसटी एसटीएल 0.01 के स्तम्भ 4 में दर्शाया जाएगा;

(iii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने निम्नलिखित मामलों में एकीकृत कर का भुगतान किया है और उक्त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों के अनुसार संविभाजित किया जाना है:—

(क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.04 में, अन्य राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने इनपुट सेवा वितरक वितरण सहित जावक अंतर-राज्यीय प्रदाय संबंधित राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या इकाइयों अथवा उन करदाताओं को किया जिन्होंने निर्यात किए हैं या कर के भुगतान पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को प्रदाय किए हैं, इनमें विवरणी नहीं भरने वाले वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके पास एकीकृत कर प्रत्यय उपलब्ध है।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 5 में दर्शाया जाएगा;

(ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.05 में, अन्य राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने राज्य के समेकित कराधेय व्यक्तियों या अनिवासी करदाता या विशिष्ट पहचान संख्या धारकों को अंतर-राज्यीय प्रदाय किया है।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र और एकीकृत कर के केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सार क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 दोनों के स्तम्भ 6 में दर्शाया जाएगा;

(ग) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.06 में, अन्य राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने ऐसी अंतर-राज्यीय आवक प्रदाय किए हैं जिनके लिए इनपुट कर प्रत्यय को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार अपात्र घोषित किया गया है या जिनका एकीकृत कर इनपुट कर प्रत्यय केंद्रीय माल और सेवा कर की धारा 18 की उप धारा (4) और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम में यथा उपबंधित कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने के कारण समाप्त हो गया है या जिनका एकीकृत कर का इनपुट कर प्रत्यय रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के कारण समाप्त हो गया है।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 7 में दर्शाया जाएगा;

(घ) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.08 में, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन संबंधित राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में आयात किए हैं।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 9 में दर्शाया जाएगा;

(ङ.) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.09 में, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में समेकन (कंपोजीशन) करदाता या विशिष्ट पहचान संख्या धारकों की सूची

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 10 में दर्शाया जाएगा;

(च) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.10 में, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने ऐसे आयात किए हों जिन पर इनपुट कर प्रत्यय को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 में यथा उपबंधित अपात्र के रूप में घोषित किया गया है।

टिप्पण : इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 11 में दर्शाया जाएगा;

(छ) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.12 में, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने एकीकृत कर पर ब्याज का भुगतान किया है

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 13 में दर्शाया जाएगा;

(iv) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.01 में अंतर्विष्ट सूचना से संबंधित जीएसटीआईएन-वार, राज्य-वार ब्यौरों वाली निम्नलिखित रिपोर्टों को भी वर्ष में एक बार भेजा जाना अपेक्षित होगा:—

(क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.07 में, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने ऐसे अंतरराज्यीय आवक प्रदाय किए हैं जिन पर इनपुट कर पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के सितंबर के अंत तक अप्रयुक्त है और संदत्त एकीकृत कर पर इनपुट कर प्रत्यय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (4) और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उपलब्ध नहीं है और उक्त एकीकृत कर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन संविभाजित किया जाना है।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में संविभाजित होने वाले एकीकृत कर के सार को क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 8 में दर्शाया जाएगा;

(ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-01.11 में, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने ऐसा आयात किया हो जिस पर इनपुट कर प्रत्यय पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के सितंबर मास के अंत तक अप्रयुक्त रहा हो और इस प्रकार, संदत्त एकीकृत कर पर इनपुट कर प्रत्यय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उपलब्ध नहीं है, और उक्त संदत्त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन संविभाजित किया जाना है।

टिप्पण : इस विवरणी से राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केन्द्रीय कर को प्रभाजित किये जाने वाले एकीकृत कर का सार क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01 तथा प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01, दोनों के स्तम्भ 12 में दर्शाया जाएगा।

5. केन्द्रीय (एकीकृत कर) तथा केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) के बीच एकीकृत कर के प्रति-उपयोग तथा प्रभाजन की रिपोर्ट:—

प्ररूप जीएसटी एसटीएल – 02.01 से जीएसटी एसटीएल – 02.02 में, किसी विशिष्ट मास में, केन्द्रीय/एकीकृत कर) तथा केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) के बीच निधियों के अंतरण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल – 02.01 में राज्यवार ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक मासिक समेकित विवरणी, जिसमें केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 में यथा उपबंधित केन्द्रीय (एकीकृत कर) से केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) या इसके विपरीत किये गये प्रत्यय के प्रति- उपयोग के कारण, तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में यथा-उपबंधित केन्द्रीय (एकीकृत कर) से केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) में प्रभाजन के कारण अंतरित की जाने वाली कुल राशि से संबंधित मासवार ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे;

(ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल-02.02 में मासिक रिपोर्ट, जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची अंतर्विष्ट होगी, जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 के अधीन यथा उपबंधित एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय से केन्द्रीय कर के दायित्व का समायोजन रजिस्ट्रीकृत किया है।

टिप्पण: एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय से संदेय केन्द्रीय कर का सारांश प्ररूप जीएसटी एल 02.01 के स्तम्भ 4 में दर्शाया जाएगा।

6. मांग के संबंध में वसूल किए गए एकीकृत कर, संदत्त चक्रवाही राशि तथा अपील फाइल करने के लिए जमा की गई राशि के केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य क्षेत्र) के बीच प्रभाजन से संबंधित रिपोर्ट :—

एक विशिष्ट मास के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र के मांग आदेश के आधार पर वसूला गया एकीकृत कर तथा उस पर लगाये गये ब्याज तथा जुर्माना, अथवा चक्रवाही राशि, अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 तथा धारा 138 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम तथा संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21, जिसके लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) और राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं है तथा उक्त एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन उक्त एकीकृत कर का

प्रभाजन किया जाना है, में यथा उपबंधित अपील फाइल करने के लिए जमा की गई राशि के संबंध में विवरणी प्ररूप जीएसटी एसटीएल 03.01 से जीएसटी एसटीएल- 03.02 में निम्न रूप से भेजी जाएगी :—

- (क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 03.01 में एक मासिक राज्य-वार समेकित विवरणी जिसमें एकीकृत कर और उस पर ब्याज और जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि अथवा चक्रवाही राशि अपील फाइल करने के लिए जमा की गई राशि जिसका राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य कर) तथा केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) के बीच प्रभाजन किया जाना है।
- (ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 03.02 में राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनसे मांगों के आधार पर ब्याज तथा उस पर जुर्माने सहित एकीकृत कर की वसूली की गई है, अथवा चक्रवाही राशि अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 तथा धारा 138 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम तथा संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 में यथा उपबंधित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने के लिए राशि जमा की गई है।

7. एकीकृत कर की राशि, जिसमें प्रदाय के स्थान का निर्धारण नहीं हो सका है या इस प्रकार के प्रदाय करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है, के केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) के बीच प्रभाजन के संबंध में रिपोर्ट:—

प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा फॉर्म जीएसटी एसटीएल 04.01 से जीएसटी एसटीएल-04.03 में राज्य (राज्य कर) अथवा केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) तथा केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) के बीच प्रभाजित किये जाने वाले एकीकृत कर के संबंध में विवरण निम्न प्रकार प्रेषित करने होंगे:—

- (क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 04.01 में एक विशिष्ट मास के दौरान एकत्र किये गये ऐसे एकीकृत कर, जिसमें प्रदाय के स्थान का निर्धारण नहीं हो सका है या ऐसा प्रदाय करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है, के एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के परंतुक में यथा उपबंधित एकीकृत कर के राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) तथा केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) में प्रभाजन का सारांश दर्शाते हुए एक मासिक राज्य-वार समेकित विवरण-पत्र;
- (ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 04.02 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिनसे एकीकृत कर एकत्रित किया गया है जिसके संबंध में कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रदाय के स्थान का अवधारण नहीं किया जा सका है और जिसका एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) के पहले परंतुक के अधीन यथा उपबंधित प्रभाजन किया जाना है,
- (ग) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 04.03 में एकत्रित किये गये ऐसे एकीकृत कर के विवरण जिनमें ऐसे प्रदाय करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है, और जिसका एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन यथा उपबंधित प्रभाजन किया जाना है, और यह एक वार्षिक रिपोर्ट होगी जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत की जाएगी।

8. पूर्व में प्रभाजित एकीकृत कर, जिसका बाद में प्रतिदाय दे दिया गया है, के कारण केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) को प्रभाजित की जाने वाली राशि में कटौती के संबंध में रिपोर्ट:—

प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.01 से जीएसटी एसटीएल-05.12 में, किसी भी मास के दौरान, पूर्व में प्रभाजित एकीकृत कर, जिसे बाद में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (15) में यथा उपबंधित के अनुसार प्रतिदाय दे दिया गया है, के कारण केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) को प्रभाजित की जाने वाली राशि में कटौती के संबंध निम्न रूप से विवरण प्रस्तुत करने होंगे:—

- (क) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.01 में एक मासिक राज्य वार समेकित विवरण-पत्र, जिसमें करदाताओं द्वारा अदा किये गये एकीकृत कर, जिसको पहले ही प्रभाजित कर दिया गया है, परंतु जिसे बाद में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कारण संबंधित व्यक्तियों को वापिस कर दिया गया है, के कारण एक विशिष्ट मास में, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) में यथा उपबंधित के अनुसार केन्द्रीय (केन्द्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केन्द्रीय (संघ राज्य-क्षेत्र कर) को प्रभावित की जाने वाली राशि में कटौती की जानी है;
- (ख) प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 05.01 में दी गई जानकारी के संबंध में राज्य-वार विवरण दर्शाने वाली मासिक रिपोर्ट निम्न प्रकार हैं:—

- (i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की अंतर-राज्यीय प्रदाय किया था और उक्त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रभाजन कर दिया गया था क्योंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 तथा संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार यह प्रदाय प्रत्यय की पात्र नहीं था। यह कर देयता, जिसे बाद में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 तथा 34 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) में यथा उपबंधित, उक्त प्रदायों के लिए कर दाताओं को प्रत्यय नोट या इनपुट सेवा संवितरण प्रत्यय नोट जारी किये जाने के कारण कम हो गया था, की जानकारी प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.02 में दी जाएगी।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर तथा केन्द्रीय कर में जमा की जाने वाली राशि में कटौती का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के क्रम सं. 1 में दर्शाया जाएगा;

- (ii) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.03 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत कर अदा कर दिया था और उक्त एकीकृत कर का प्रभाजन कर दिया गया था क्योंकि प्रदाय निर्माता डीलरों को की गई थी, जिनकी कर देयता केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 और 34 (या संघ राज्य-क्षेत्र कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन उपबंधित निर्माता करदाताओं को प्रत्यय नोट जारी किये जाने के कारण बाद में घट गई थी।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर तथा केन्द्रीय कर को प्रत्यय की जाने वाली राशि में कटौती का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के क्रम सं. 2 में दर्शाया जाएगा;

- (iii) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.04 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत की अदा कर दिया था और उक्त एकीकृत कर का प्रभाजन कर दिया गया था क्योंकि प्रदाय अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई थी, और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन यथा उपबंधित अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रत्यय नोट जारी किये जाने के कारण बाद में उनकी कर देयता घट गई थी।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर तथा केन्द्रीय कर को प्रत्यय की जाने वाली राशि में कटौती का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के क्रम सं. 3 में दर्शाया जाएगा;

- (iv) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.05 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत कर दाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत कर अदा कर दिया था और उक्त एकीकृत कर का प्रभाजन कर दिया गया था और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धाराओं 107 और 112 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन यथा उपबंधित अपील फाइल करने के लिए अदा की गई राशि तथा उस पर ब्याज वापिस किये जाने के कारण उनकी माँग घट गयी थी जिसके कारण प्रभाजित किये जाने वाले एकीकृत कर में कटौती की जानी है।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर तथा केन्द्रीय कर में प्रत्यय की जाने वाली राशि में कटौती का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के क्रम सं. 4 में दर्शाया जाएगा;

- (v) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.06 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिनसे प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदाय स्वीकार न किये जाने के कारण ब्याज सहित एकीकृत कर की वसूली कर गई थी और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धाराओं 42 और 43 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन यथा उपबंधित क्रेता का निविष्ट कर प्रत्यय ब्याज सहित वापिस ले लिया गया था और ब्याज की राशि को प्रभाजित कर दिया गया था और बाद में प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय स्वीकार किये जाने पर प्रभाजित की जाने वाली ब्याज की राशि घट जाएगी।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केन्द्रीय कर को प्रत्यय की जाने वाली राशि में कटौती का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के क्रम सं. 5 में दर्शाया जाएगा;

- (vi) रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जहां संदत्त एकीकृत कर को उन अन्तर-राज्यीय आवक प्रदाययों के कारण विभाजित किया गया जिनके लिए इनपुट कर प्रत्यय को पूर्व में अपात्र घोषित किया गया और विभाजित किया गया किंतु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17) (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अंतर्गत अब पात्र बन गए हैं जिससे एकीकृत कर में आयी कमी को जीएसटी एसटीएल 05.07 प्ररूप में विभाजित किया जाएगा।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केन्द्रीय कर में प्रत्यय की जाने वाली राशि की कमी का सारांश को प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5-01 की क्रम सं.06 में दर्शाया जाएगा;

- (vii) रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की संख्या जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 79 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन वसूली किए गए या उचित अधिकारी द्वारा उठाई गई मांग के परिणाम स्वरूप 'संदत्त' एकीकृत कर को विभाजित किया गया और मांग को अपील आदेश द्वारा तत्पश्चात् उल्टा किया गया जैसा कि केंद्र माल और सेवा कर अधिनियम और संबंधित राज्यों के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107, 112, 113, 117 और 118 (या संघ राज्य क्षेत्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप एकीकृत कर में आयी कमी को प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.08 में विभाजित किया जाएगा।

टिप्पणी : राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर में प्रत्यय होने वाली राशि में कमी के सारांश को प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 की क्रम सं 7 में दर्शाया जाएगा;

- (viii) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 05.09 में ऐसे रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिनके केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और संबंधित राज्यों के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37, धारा 38 और धारा 39 (या संघ राज्य-क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानानुसार विवरणी में शुद्धि करने के कारण भुगतान के बाद संदेय राशि में संशोधन के कारण एकीकृत कर के भुगतान की देयता में कमी आती है और इस तरह संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर को प्रभाजित किया गया है, या रजिस्ट्रीकृत करदाता जिसने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में यथाउपबंधित शून्य दर वाले प्रदायों के कारण प्रतिदाय का दावा किया है, और अब उसे केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर में से घटाया जाना है।

टिप्पणी: राज्य कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर और केंद्रीय कर में प्रत्यय की जाने वाली राशि की कमी का सारांश को प्ररूप जीएसटी एसटीएल 5.01 की क्रम सं.08 में दर्शाया जाएगा।

9. प्रतिदायों से विभिन्न करों की वसूली से संबंधित रिपोर्ट:—

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (10) (या संघ राज्यीय क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21) के अधीन दिए गए प्रावधानानुसार प्रतिदाय से किसी कर, व्याज, जुर्माने, शुल्क या अन्य किसी राशि की वसूली होने पर केंद्र (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्र (संघ राज्य-क्षेत्र कर) के बीच उत्पन्न होने वाले निपटान की रिपोर्ट को प्ररूप जीएसटी एसटीएल 06.01 में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र तथा केंद्र हेतु समेकित निपटान रजिस्टर से संबंधित रिपोर्ट:—

- (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के लिए प्ररूप जीएसटी एसटीएल 07.01 मासिक समेकित निपटान रजिस्टर भेजा जाना चाहिए और इस रजिस्टर में रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01, 3.01, 4.01 और 6.01 में निहित निपटान व्यौरों के समेकित सारांश पर आधारित राज्य कर खाते से केंद्र कर खाते या एकीकृत कर खाते और इसके विपरीत निधि के अंतरण के समेकित व्यौरों होने चाहिए।
- (2) प्ररूप जीएसटी एसटीएल 07.02 में मासिक समेकित निपटान रजिस्टर भेजा जाना चाहिए और इस रजिस्टर में रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी एसटीएल 1.01, 2.01, 4.01, 5.01 और 6.01 में निहित निपटान व्यौरों के समेकित सारांश पर आधारित केंद्र कर खाते से एकीकृत कर खाते में और इसके विपरीत क्रम में निधि के अंतरण के समेकित व्यौरों होने चाहिए।

11. अन्य प्रावधान:—

(1) प्रत्येक मास के लिए अनंतिम मंजूरी आदेश जारी करना - (क) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा एक लॉग-इन आधारित केंद्रीकृत लेखाकरण पोर्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिस पर राज्य लेखा प्राधिकरण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और राज्य कराधान प्राधिकरणों द्वारा काम किया जा सके।

(ख) उपर्युक्त बही-खातों की प्राप्ति पर प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक एकीकृत माल और सेवा कर खाते से प्रत्येक राज्य को या इसके विपरीत क्रम से दिए जाने वाले कुल भुगतान की गणना करेगा और केंद्रीकृत लेखाकरण पोर्टल पर माल और सेवा कर नेटवर्क से आंकड़ों की प्राप्ति के तीन कार्यकारी दिनों के भीतर राज्य-वार सारांश अपलोड करेगा। तत्पश्चात् इस आंकड़ों के अपलोड होने के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उपनियम (2) में दी गई प्रक्रियानुसार मास के लिए अनंतिम मंजूरी आदेश जारी किया जाएगा।

(2) माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा दिए गए आंकड़ों में किसी विसंगति का हल निकालना:

(क) माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रत्येक मास के लिए उपलब्ध कराए गए उपर्युक्त बही-खातों के आधार पर केंद्र और संबंधी राज्य लेखाकरण प्राधिकारियों वर्ग, बोर्ड और राज्य कर नोडल प्राधिकारी वर्ग प्राप्त भुगतानों के व्यौरे, इनपुट कर प्रत्यय परस्पर-उपयोग और माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त प्रभाजन व्यौरों का

समाधान करेंगे और किसी विसंगति के मामले में माल और सेवा कर नेटवर्क और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक से आने वाले मास की 20 तारीख तक संपर्क करेंगे।

- (ख) यदि केंद्र या राज्य (राज्यों) लेखाकरण प्राधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा इस अवधि के अंदर कोई विसंगति पकड़ी जाती है तो माल और सेवा कर नेटवर्क मामले को देखेगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधित संगणना तैयार करेगा और इसे दोबारा केंद्र तथा राज्य लेखाकरण, कराधान प्राधिकारियों और प्रधान मुख्य नियंत्रक को मास की 25 तारीख तक भेजेगा।
- (ग) माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त संशोधित संगणना के आधार पर तथा उप खण्ड (क) और (ख) में संदर्भित किसी विसंगति का समाधान करने के बाद यदि किसी राज्य के संबंध में कोई बदलाव किया जाता है तो प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक एकीकृत माल और सेवा कर लेखा से प्रत्येक राज्य तथा इसके विपरीत क्रम से होने वाले कुल भुगतान की संगणना करेगा और इसके अंतिम राज्य-वार सारांश को केंद्रीकृत लेखाकरण पोर्टल पर माल और सेवा कर नेटवर्क से संशोधित आंकड़े प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अपलोड करेगा तथा इस आंकड़े के अपलोड होने के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा नीचे दी गई प्रक्रियानुसार मास के लिए अंतिम मंजूरी आदेश जारी करेगा—
- (i) केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकरण का केंद्रीयकृत लेखाकरण पोर्टल का इस्तेमाल राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ राज्य-वार निपटान के व्यौरों को डाउनलोड करने हेतु किया जाएगा।
 - (ii) राजस्व विभाग का एक पदनामित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत एकीकृत माल और सेवा कर खाते से प्रत्येक राज्य या इसके विपरीत क्रम से अंतरित होने वाली निधि का मंजूरी आदेश जारी करेगा।
 - (iii) प्रत्येक राज्य हेतु प्रत्येक मास के लिए अंतिम मंजूरी आदेश प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा उप नियम (1) के अनुसार अपलोड किए गए व्यौरों के आधार पर जारी किया जाएगा।
 - (iv) प्रत्येक राज्य हेतु प्रत्येक मास के लिए अंतिम मंजूरी आदेश, यदि जरूरत हो तो, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा उप नियम (3) के अनुसार अपलोड किए गए व्यौरों के आधार पर जारी किया जाएगा।
 - (v) मंजूरी आदेश को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा राज्य-वार निधि निपटान के व्यौरे के अपलोड किए जाने के तीन दिनों के अंदर जारी किया जाना चाहिए।
 - (vi) केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकरण को संबोधित इलैक्ट्रॉनिक मंजूरी (डिजीटल हस्ताक्षरित) आदेश जिसमें राज्य-वार व्यौरें होंगे, को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकरण के पोर्टल पर लॉग-इन आधारित प्रणाली से अपलोड किया जाएगा।
 - (vii) चूंकि मंजूरी पत्र में निपटान के व्यौरे भी होंगे अतः यह भविष्य के समाधान और लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के रिकॉर्डों में उपलब्ध होने चाहिए।
 - (viii) राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा अंतरित हो रही निधि के बारे में मंजूरी के माध्यम से ही पता चलना चाहिए।
 - (ix) मंजूरी की प्रति संबंधित राज्य महालेखाकार को भी प्रेषित की जानी चाहिए।
 - (x) केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकरण, राजस्व विभाग से प्राप्त मंजूरी के आधार पर एक अंतर सरकारी सलाह का सृजन करेगा और उसे मंजूरी आदेश के जारी होने के तीन दिनों के अंदर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर) को भेजेगा।
 - (xi) भारतीय रिजर्व बैंक, इलैक्ट्रॉनिक अंतर-सरकारी सलाह के आधार पर भारत की संचित निधि और संबंधित राज्य की राज्यों की संचित निधि के बीच आवश्यक निपटान करेगा; 'निकासी ज्ञापन' सृजित करेगा और उसे केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकरण और राज्य लेखाकरण प्राधिकारियों तथा महालेखाकार को संप्रेषित करेगा।
 - (xii) केंद्रीय लेखाकरण प्राधिकारी वर्ग भारतीय रिजर्व बैंक को अंतर-सरकारी सलाह जारी करते समय समुचित लेखाकरण प्रविष्टियां करनी होगी।
 - (xiii) संबंधित राज्य लेखाकरण प्राधिकारी वर्ग और महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति के समय उचित लेखाकरण प्रविष्टियां करेगा।

[फा. सं. 31013/16/2017-एसटी-1-डीओआर]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 01.01

सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त रिटर्न, रिटर्न के अलावा अन्योन्य तथा सूचना के आधार पर केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निधियों के अंतरण का विवरण

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

[नियम.....के अनुसार]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास -

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मास	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईटीसी (आईएसडी द्वारा परस्पर उपयोग सहित) के प्रति समायोजित आईजीएसटी दायित्व	आईजीएसटी से समायोजित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी दायित्व	अरजिस्ट्रीकृत इकाई को आईएसडी संवितरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्यातों और प्रदायों सहित वी2सी आपूर्तियों पर एकत्र आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	समेकन कराधेय व्यक्ति/अनिवासी कराधेय व्यक्ति/यूआईएन धारकों को की गई अंतर-राज्यीय/संघ राज्य क्षेत्र आपूर्तियों के लिए आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	बी से बी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग, जहां आईटीसी को अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिसमें समेकन योजना के विकल्प की वजह से व्यपगत आईटीसी शामिल है
1	2	3	4	5	6	7

बी से बी आपूर्ति पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग जिसमें विशिष्ट अवधि तक आईटीसी अप्रयुक्त रहा	गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा आयात की गई आपूर्तियों पर एकत्र आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	यूआईएन धारकों / समेकन कराधेय व्यक्तियों द्वारा आयातित आपूर्तियों पर आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (समेकन के अतिरिक्त) द्वारा आयातित माल/सेवा पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग, जहां आईटीसी को अपात्र घोषित किया गया है	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आयातित माल पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग जिसमें निर्धारित अवधि तक आईटीसी अप्रयुक्त रहा	आईजीएसटी पर अदा किए गए रिटर्नों से संबंधित ब्याज का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केन्द्र को देय शुद्ध राशि (-) / केन्द्र से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्त (+) (स्तंभ 4 से 13 - स्तंभ 3 का योग)
8	9	10	11	12	13	14

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 01.02

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने राज्य माल और सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर के इनपुट कर प्रत्यय से एकीकृत माल और सेवा कर दायित्व को समायोजित किया है

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 3 के लिए)

[सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	परस्पर उपयोग (प्रति उपयोग) का प्रवर्ग (रिटर्न/रिटर्न के अलावा)	एआरएन/आईजीएसटी मांग आईडी	रिटर्न की कर अवधि	सीजीएसटी आईटीसी से अदा किया गया आईजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईटीसी से अदा किया गया आईजीएसटी
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

3. ए आर एन का तात्पर्य रिटर्न की प्राप्ति संदर्भ संख्या से है ।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 01.03

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने राज्य माल और सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर के इंपुट कर प्रत्यय से एकीकृत माल और सेवाकर दायित्व को समायोजित किया है

(01.01 के स्तंभ 4 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	परस्पर उपयोग (क्रॉस यूटिलाइजेशन) की श्रेणी (रिटर्न/रिटर्नों के अलावा)	एआरएन/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी मांग आईडी	एआर एन	रिटर्न की कर अवधि	आईजीएसटी आईटीसी से अदा किया गया एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	आईजीएसटी प्रत्यय से अदा किया गया सीजीएसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल								

टिप्पणी : परस्पर उपयोजन के मामले में अवैध रिटर्न पर भी निपटान करने के लिए विचार किया जाएगा ।

रिटनों के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ के लिए प्रत्यय के परस्पर उपयोजन के मामले में मांग आई डी का उल्लेख करना होगा।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 01.04

अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने निर्दिष्ट अवधि तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या यूनितों (गैर रिटर्न फाईलर्स सहित) अथवा वे करदाता जिन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को निर्यात या प्रदाय किए हैं को बहिर्गामी आपूर्ति, जिसमें इनपुट सेवा वितरक का संवितरण शामिल है, की है (अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवा सहित)

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 5 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

[illegible]

टिप्पणी : स्तंभ (4) को निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाएगा :

- श्रेणी क: अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतरराज्यीय प्रदेशों अथवा अरजिस्ट्रीकृत एककों को वितरित आईएसडी ।
- श्रेणी ख : देश के बाहर स्थित व्यक्तियों द्वारा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दी गई ऑन लाइन सेवाओं से संबंधित सूचना ।
- श्रेणी ग : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 37 तथा 38 में दिए गए अनुसार उन प्राप्तकर्ता कराधेय व्यक्तियों के ब्यौरे जिन्होंने निर्धारित अवधि तक रिटर्न दायर नहीं की हैं ।
- श्रेणी घ : उन कराधेय व्यक्तियों के ब्यौरे जिन्होंने वार्षिक रिटर्न दायर करने के बाद आईटीसी प्रत्यय प्राप्त किया है ।
- श्रेणी ङ : कर के भुगतान के साथ किए गए निर्यातों को ब्यौरा
- श्रेणी च : कर के भुगतान के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर को किए गए प्रदायों का ब्यौरा

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 01.05

अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कंपोजीशन कराधेय/ गैर निवासी कराधेय व्यक्ति/यूनिक पहचान संख्या धारक को अंतरराज्यीय आपूर्ति की है

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 6 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो) विधिक नाम	व्यक्तियों की श्रेणी	प्राप्तकर्ता/ यूआईएन का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (वैधानिक नाम यदि उपलब्ध नहीं है तो)	एआरएन	रिटर्न की कर अवधि	भुगतान किया गया आईजीएसटी	आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग	आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल											

टिप्पणी : स्तंभ (5) को निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाएगा :

- (क) श्रेणी क: समेकन कराधेय व्यक्ति,
- (ख) श्रेणी ख : अनिवासी कराधेय व्यक्ति और
- (ग) श्रेणी ग : यूआईएन धारक

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल- 01.06

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने अंतर-राज्यीय आंतरिक आपूर्ति की है, जिसके लिए इनपुट कर प्रत्यय (आई.टी.सी) अपात्र/अमान्य घोषित है और कंपोजीशन स्कीम का विकल्प लेने के कारण आई टीसी व्यपगत है।

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 7 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	प्राप्त कर्ता का जीएसटी आई एन	वितरित/आबंटित की जाने वाली आई टी सी की श्रेणी	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	ए आर एन	विवरणी की कर अवधि/स्टाक सूचना देने का मास	संवितरण हेतु आईजीएसटी की राशि उपलब्धता	आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

टिप्पणी: 1. आई टी सी के दावा और वापसी के लिए संगत धाराएं- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) और 18 (4)

2. कालम 3 की श्रेणियां निम्नानुसार होंगी:

श्रेणी क- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार सिमें आई टीसी अपात्र है

श्रेणी ख- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसार समेकन स्कीम के कारण आई टी सी व्यपगत है।

श्रेणी ग- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा के अनुसार रजिस्ट्रीकरण रद्द होने पर आई टी सी व्यपगत हुआ

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल- 01.07

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने अंतर्राज्यीय आंतरिक आपूर्ति की है और निर्धारित अवधि तक इनपुट कर प्रत्यय अप्रयुक्त रहा।

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 8 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	एआरएन	कर विवरणी की अवधि	वितरण हेतु उपलब्ध अप्रयुक्त आईजीएसटी आईटीसी	आईजीएसटी के अप्रयुक्त भाग का एसजीएसटी/यू.टी.जीएसटी	आईजीएसटी के अप्रयुक्त भाग का सीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में प्राप्तकर्ता कराधेय व्यक्तियों की सूची भी शामिल की जाएगी जिन्होंने विवरणी भरी है परंतु सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 37, 38 और 44 में किए गए उपबंध के अनुसार निर्धारित अवधि तक आईटीसी का दावा नहीं किया है।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 01.08

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने माल का आयात किया है।

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 9 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	भुगतान किया आईजीएसटी व्याज सहित यदि हो	आई जी एस टी में एस जी एसटी/यूटी जी एस टी का भाग	आई जी एस टी में सी जीएस टी का भाग
1	2	3	4	5	6
योग					

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क अधिकारियों से प्राप्त व्यक्तियों के व्यौरे, यदि उपलब्ध कराए हों, भी सम्मिलित रहेंगे।

स्रोत: सीमा शुल्क अधिकारियों से मिला आयात आंकड़ा।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल- 01.09

उन कंपोजीशन कराधेय व्यक्तियों/यूनिक पहचान संख्याधारक व्यक्तियों की सूची जिन्होंने माल का आयात किया है

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 10 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आयातक का जीएसटीआईएन/यूआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	करदाता की श्रेणी	एआरएन यदि कोई हो	कर अवधि	माल/सेवा	प्रदत्त आईजीएसटी	आईजीएसटी में एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का भाग	आई जीएसटी में सीजीएसटी का भाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

टिप्पणी:

1. इस रिपोर्ट में माल आयात करने की सीमा शुल्क अधिकारियों से सूचना भी शामिल रहेगी।
2. सेवा के आयात के आंकड़े वही होंगे जो विवरणी में हैं।
3. कालम 5 में निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:

- (क) श्रेणी क- समेकन कराधेय व्यक्ति और
(ख) श्रेणी ख- यू आई एन होल्डर

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल- 01.10

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने आयात किया और जिसपर इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) अपात्र घोषित हुई
(01.01 और 02.01 के स्तंभ 11 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
वर्ष-
मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	एआरएन	विवरणी की कर अवधि	उपलब्ध आईजीएसटी	आईजीएसटी का एसजीएसटी, यूटीजीएसटी भाग	आईजीएसटी में एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का भाग
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट- 01.11

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने आयात किया और इस पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 37, 38 के प्रावधानानुसार विशिष्ट अवधि तक आईटीसी अप्रयुक्त रही

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 12 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
वर्ष-
मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	ए आर एन	विवरणी की कर अवधि	आईटीसी बची वितरण के लिए उपलब्ध अप्रयुक्त/आईजीएसटी	अप्रयुक्त आई जी एसटी भाग में एसजीएसटी/यूटी जीएसटी का भाग	अप्रयुक्त आईजीएसटी में सी जी एस टी का भाग
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

टिप्पणी : इस रिपोर्ट में वे मामले भी होंगे जिनका आयातकर्ता ने अपनी जीएसटीआर2/जीएसटीआर 5 में रिपोर्ट नहीं किया है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट 01.12

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने रिटर्न से संबंधित एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) पर ब्याज अदा किया है।

(01.01 और 02.01 के स्तंभ 13 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	एआरएन	कर विवरणी की अवधि	प्रदत्त आईजीएसटी पर ब्याज	प्रदत्त आईजीएसटी पर ब्याज में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का हिस्सा	प्रदत्त आई जीएसटी के ब्याज में सीजीएसटी का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

टिप्पणी : 1) इस ब्याज को प्राप्तकर्ता राज्यों में प्रविभाजित किया जाएगा।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल- 02.01

सीमा शुल्क अधिकारियों से मिली विवरणियों गैर-विवरणियों और सूचना के आधार पर केंद्रीय माल और सेवा कर और एकीकृत माल और सेवा कर का राज्य/संघ क्षेत्रवार बही समायोजन

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीजीएसटी आईटीसी (आईएसडी द्वारा परस्पर उपयोग सहित) में समायोजित आईजीएसटी दायित्व	आईजीएटी आईटीसी में समायोजित सीजीएसटी दायित्व	अरजिस्ट्रीकृत इकाइयों को आईएसडी वितरण सहित बी 2 सी आपूर्तियों पर एकत्र आईजीएसटीसी में जीएसटी भाग	समेकन कराधेय व्यक्तियों/अनिवासी कराधेय व्यक्ति/ यूआईएन होल्डरों को की गई अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए आईजीएसटी में सीजीएसटी का भाग	बी से बी को आपूर्तियां जहां आईटीसी अपात्र घोषित हैं और जो समेकन योजना के विकल्प के कारण व्यपगत हैं/ समाप्त हैं से एकत्र आईजीएसटी में सीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

जहां विशिष्ट अवधि तक आईटीसी अप्रयुक्त रही हो वहां बी से बी आपूर्तियों पर एकत्र आईजीएसटी में सीजीएसटी का भाग	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से आयातित सप्लायर पर एकत्र आईजीएसटी में सीजीएसटी का भाग	समेकन कराधेय व्यक्तियों/ यूआईएन होल्डरों द्वारा आयातित आपूर्ति के लिए आईजीएसटी में सीजीएसटी भाग	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (कम्पोजीशन के अलावा) द्वारा आयातित सामान/सेवा पर एकत्र आईजीएसटी में सीजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग	जहां विशिष्ट अवधि तक आईटीसी अप्रयुक्त रही वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आयातित माल पर एकत्र आई जीएसटी में सीजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग	आई जी एसटी पर प्रदत्त रिटर्न से संबंधित ब्याज का सीजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केंद्र को देय निवल राशि (-) केंद्र/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्र से प्राप्य (+)[स्तम्भ 4 से 13 का योग - स्तम्भ 3]
8	9	10	11	12	13	14
योग						

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 02.02

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जो आईजीएसटी की इनपुट कर प्रत्यय से सीजीएसटी दायित्व समायोजित कर चुके हैं।

(02.01 के स्तंभ 4 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 (क)]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	परस्पर-उपयोजन की श्रेणी (विवरणी/गैर विवरणी)	ए आर एन/मांग पहचान	रिटर्न की कर अवधि	आईजीएसटी, आईटीसी से अदा किया सीजीएसटी
1	2	3	4	5	6	7
योग						

टिप्पणी: विवरणियों के अलावा प्रत्यय के प्रति-उपयोजन के मामले में मांग पहचान करनी होगी।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 03.01

मांग की एवज में उगाही गई एकीकृत माल और सेवा कर की राशि, प्रदत्त शमन की राशि और अपील फाइल करने के लिए जमाराशि का विभाजन

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित की जाने वाली आईजीएसटी राशि की श्रेणी	अपील फाइल करने के लिए वसूल या जमा की गई आईजीएसटी की राशि						संविभाजित राशि
			कर	ब्याज	शास्ति	शमन राशि	कुल	आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग	आई जी एस टी का एस जीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी:-

- संगत धाराएं: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79, धारा 107 और धारा 138
- स्तम्भ 3 में उल्लिखित श्रेणियां निम्न प्रकार होंगी:-

- (क) श्रेणी (अ): आईजीएसटी राशि जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत मांग पर उगाही गई
- (ख) श्रेणी (आ): आईजीएसटी राशि जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 107, 112 के अंतर्गत अपील फाइल करने के लिए जमा हुई
- (ग) श्रेणी (इ): आईजीएसटी शमन राशि जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत जमा हुई

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 03.02

उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिनसे मांग, प्रदत्त चक्रवृद्धि राशि और अपील दर्ज करने के लिए जमा की गई राशि के सापेक्ष एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की राशि वसूली गई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम (यदि उपलब्ध नहीं तो विधिक नाम)	आदेश सं.	आदेश की तारीख	वितरित की जाने वाली आईजीएसटी राशि की श्रेणी	नकद बही खाते में विकलन प्रविष्टि	प्रत्यय बही खाते में डेबिट एंट्री	आईजीएसटी शीर्ष के तहत की गई वसूली या अपील दर्ज करने के लिए किया गया जमा					संविभाजित राशि	
								कर	व्याज	शास्ति	चक्रवृद्धि राशि	कुल	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कुल														

नोट:

- संबंधित धारा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 और धारा 138
- ऊपर स्तंभ 6 में उल्लिखित श्रेणी निम्नानुसार होगी:
 - श्रेणी क : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मांग पर वसूली गई आईजीएसटी की राशि
 - श्रेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 107, 112 के तहत अपील दर्ज करने के लिए जमा की गई आईजीएसटी राशि
 - श्रेणी ग : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 138 के तहत जमा की गई आईजीएसटी की चक्रवृद्धि राशि

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 04.01

एकीकृत माल और सेवाकर राशि का वितरण जहां आपूर्ति का स्थान या कराधेय व्यक्ति का पता अवधारित न हो

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	आईजीएसटी का वितरण जहां आपूर्ति का स्थान ज्ञात न हो		आईजीएसटी का वितरण जहां कराधेय व्यक्ति का पता न हो		वितरित कुल राशि	
	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग	सीजीएसटी का भाग	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग	सीजीएसटी का भाग	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग	सीजीएसटी का भाग
1	2	3	4	5	6	7
कुल						

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 04.02

कराधेय व्यक्तियों की सूची जिनसे एकीकृत माल और सेवाकर एकत्र किया गया है और आपूर्ति का स्थान ज्ञात नहीं है

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(4.01 के स्तंभ 2 और 3 के लिए)

वर्ष –

मास –

- क) आपूर्तिकर्ता की जीएसटी पहचान सं.
 ख) वितरित होने वाली आईजीएसटी की राशि
 ग) बिंदु (ख) पर उल्लिखित राशि में से सीजीएसटी का भाग.....
 घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित होने वाले शेष राशि (ख-ग).....

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनको पिछली अवधि में आपूर्तियां की गई थी	राज्य को की गई आपूर्तियों की राशि	आपूर्तियों का अनुपात	आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5
कुल				

नोट: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संविभाजन उसी अनुपात में किया जाना है जिसमें प्रत्येक राज्य को आपूर्तियां की गई थी।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 04.03

एकत्र किए गए एकीकृत माल और सेवाकर का वितरण जहां कराधेय व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं है

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(4.01 के स्तंभ 4 और 5 के लिए)

वर्ष –

मास –

- क) वितरित होने वाली आईजीएसटी की राशि
 ख) (क) पर उल्लिखित राशि में से सीजीएसटी का भाग.....

ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित होने वाले शेष राशि (क-ख).....

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष एकत्र किए गए कर की राशि	एकत्र कर का अनुपात	आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग
1	2	3	4	5
कुल				

नोट: संविभाजन पूर्ववर्ती वर्ष में हुए कर संग्रहण के अनुपात में किया जाना है।

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल – 05.01

सार दर्शाते हुए राज्य वार संचित विवरण जिसमें करदाता द्वारा प्रदत्त एकीकृत कर को पहले ही संविभाजित कर दिया गया है परंतु बाद में करदाता की एकीकृत कर का दायित्व केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कारण कम हो गई है जिसके परिणामस्वरूप केंद्र को (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर)/केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र कर) से संविभाजित होने वाली राशि भी कम हो गई है।

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	राशि में कमी	
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	सीजीएसटी
1	2	3	4
1.	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी प्रत्यय टिप्पण जहां सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार आपूर्ति आईटीसी के लिए पात्र नहीं है। (ब्यौरे एसटीएल 5.02 से आए हैं)		
2.	समेकित कराधेय व्यक्ति को प्रत्यय टिप्पण जारी करने के कारण कमी आई है। (ब्यौरे एसटीएल 5.03 से आए हैं)		
3.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रत्यय टिप्पण जारी करने के कारण कमी आई (ब्यौरे एसटीएल 5.04 से आए हैं)		
4.	अपील फाइल करने के लिए की गई जमा राशि की ब्याज सहित प्रतिदायगी के कारण कमी आई (ब्यौरे एसटीएल 5.05 से आए हैं)		
5.	आईटीसी/प्रत्यय टिप्पण के बेमेलपन के कारण पहले संवितरित किए गए ब्याज परंतु अब इसका पुनः दावा किए जाने के कारण कमी आई (ब्यौरे एसटीएल 5.06 से आए हैं)		
6.	अंतर-राज्यीय आवक आपूर्तियों के कारण संविभाजित राशि जिसके लिए आईटीसी को अपात्र घोषित किया गया था परंतु अब यह पात्र हो गया है (ब्यौरे एसटीएल 5.07 से आए हैं)		
7.	बकाया देयों की वसूली के कारण संविभाजित राशि और बाद में अपील आदेश के कारण ब्याज सहित लौटाई गई (ब्यौरे एसटीएल 5.08 से आए हैं)		
8.	पहले ही संविभाजित राशि में (क) विवरणियों में संशोधन, या (ख) विनिर्दिष्ट श्रेणियों में प्रतिदायगी जारी करने (ग) किसी अन्य कारण से कमी (ब्यौरे एसटीएल 5.09 से आए हैं)		
	कुल		

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.02

(5.01 के क्रम सं. 1 के लिए)

उन रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की संख्या जिन्होंने माल अथवा सेवा अथवा दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति की थी और उक्त एकीकृत कर पहले ही आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) की धारा 17(2) के उपबंधों के अनुसार संविभाजित हो चुके थे। क्योंकि आपूर्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार प्रत्यय हेतु पात्र नहीं थी। उक्त आपूर्ति हेतु करदाताओं को प्रत्यय टिप्पणों/इनपुट सेवाएं वितरक प्रत्यय टिप्पणों के जारी किए जाने के कारण मांग बाद में घट गई।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	एआरएन	विवरणी की कर अवधि	प्रत्यय टिप्पण सं.	प्रत्यय टिप्पण तिथि	टिप्पणे में संलिस आईजीएसटी की राशि	आईजीएसटी में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल									

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 20 और 34(2)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.03

(5.01 के क्रम सं. 2 के लिए)

उन रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत कर भुगतान किया था और उक्त एकीकृत कर पहले से विभाजित हो चुका है क्योंकि आपूर्ति प्रशमन डीलरों को की गई थी और जिन्होंने और जिनकी मांग बाद में समेकन करदाताओं को प्रत्यय टिप्पण जारी किए जाने के कारण घट गई थी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	एआरएन	विवरणी की कर अवधि	प्रत्यय नोट सं.	प्रत्यय नोट तिथि	नोट में संलिस आईजीएसटी की राशि	आईजीएसटी में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल									

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 10 और 34(2)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.04

(5.01 के क्रम सं. 3 के लिए)

उन रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत कर भुगतान किया था और उक्त एकीकृत कर पहले ही से विभाजित हो चुका है क्योंकि आपूर्ति प्रथमन डीलरों को की गई थी और जिन्होंने और जिनकी मांग बाद में समेकन करदाताओं को प्रत्यय टिप्पण जारी किए जाने के कारण घट गई थी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	एआरएन	विवरणी की कर अवधि	प्रत्यय टिप्पण सं.	टिप्पण में संलिप्त आईजीएसटी की राशि	आईजीएसटी में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल								

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 34(2)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.05

(5.01 के क्रम सं. 4 के लिए)

उन रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की सूची जिन्होंने एकीकृत कर का भुगतान किया था और उक्त एकीकृत कर पहले ही विभाजित हो चुका था और जिनकी मांग बाद में पूर्व जमा और व्याज के प्रतिदाय के कारण घट गया था

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	अपील ओदश सं.	अपील आदेश की तारीख	मांग आदेश संख्या	मांग आदेश तारीख
1	2	3	4	5	6	7
कुल						

अपील दाखिल करने हेतु जमा किए गए आईजीएसटी की राशि	आईजीएसटी में एसजीएसटी यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी में जीएसटी हिस्सा	पूर्व जमा के प्रतिदाय के कारण प्रोद्भूत व्याज राशि	व्याज में एसजीएसटी यूटीजीएसटी हिस्सा	व्याज का सीजीएसटी हिस्सा
8	9	10	11	12	13

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के साथ 107 और 112

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.06

(5.01 के क्रम सं. 5 के लिए)

इनपुट कर प्रत्यय/प्रत्यय टिप्पण के बेमेल होने के कारण ब्याज के पूर्व में विभाजित होने के कारण कमी किंतु अब पुनः दावा
(कर दाताओं की सूची)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	वितरण हेतु उपलब्ध आईजीएसटी की श्रेणी (आईटीसीका बेमेल/प्रत्यय टिप्पण का बेमेल होना)	मूल बीजक संख्या/प्रत्यय टिप्पण संख्या	मूल से विभाजन की तारीख	पुनः दावा करने की तारीख	पुनः दावा किए गए ब्याज की राशि	आईजीएसटी में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल									

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 42(7) और धारा 43(7)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.07

(5.01 के क्रम सं. 6 के लिए)

उन अंतर-राज्यीय आवक आपूर्तियों के कारण कमी जिनके लिए इनपुट कर प्रत्यय अपात्र घोषित किया गया किंतु अब पात्र हो गए हैं
(करदाताओं की सूची)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटी आईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	एआरएन संख्या	एआरएन की कर अवधि	बीजक संख्या जिसमें आईटीसी को अपात्र घोषित किया गया, यदि कोई हो	बीजक तारीख जब आईटीसी को घोषित, यदि कोई हो	आईटीसी की राशि जिसे पूर्व में अपात्र घोषित किया गया	आईटीसी की राशि जिसे अब पात्र होने के रूप में दावा किया गया	आईजीएसटी में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल										

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.08

(5.01 के क्रम सं. 7 के लिए)

बकाया देयों की वसूली के कारण कमी और बाद में अपील आदेश के कारण प्रतिदाय दिया गया और उसका व्याज
(करदाताओं की सूची)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	अपील आदेश सं.	अपील आदेश की तारीख	मांग आदेश संख्या	मांग आदेश तारीख	अपील फाइल करने हेतु जमा किए गए आईजीएसटी की राशि	आईजीएसटी का एसजीएसटी यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी का जीएसटी हिस्सा	पूर्व जमा के प्रतिदाय के कारण प्रोद्भूत व्याज राशि	व्याज में एसजीएसटी यूटीजीएसटी हिस्सा	व्याज में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल												

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के साथ धारा 79, 107, 12, 117 और 118

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 05.09

(5.01 के क्रम सं. 8 के लिए)

उन रजिस्ट्रीकृत कर दाताओं की संख्या जहां एकीकृत कर के भुगतान की देनदारी में रिटर्न में शुद्धि करने के कारण भुगतान के बाद संदेय राशि में संशोधन करने के कारण या प्रदायों की प्रतिदायगी का दावा करने के कारण या किसी अन्य कमी के कारण कमी आयी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	व्यापार का नाम, (यदि उपलब्ध न हों तों विधिक नाम)	एआरएन	एआरएन की कर अवधि	पहले ही से विभाजित की गई राशि में संशोधन के कारण कमी	आईजीएसटी में एसजीएसटी यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी में सीजीएसटी हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 37 (3), 38 (5), 39(क) और 55 और आईजीएसटी की अधिनियम की धारा 16

टिप्पण : स्तम्भ 4 निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा।

श्रेणी क : विवरणी में शुद्धि करने के कारण कमी

श्रेणी ख : विशिष्ट पहचान संख्या धारकों को प्रतिदायगी के कारण कमी

श्रेणी ग : विशेष आर्थिक क्षेत्रों को किए गए निर्यातों या प्रतिदायों के एवज में की प्रतिदायगी के कारण कमी

श्रेणी घ : किसी अन्य कारण से कमी

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 06.01

प्रतिदाय में से वसूली के कारण केंद्र/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निपटान

राज्य-

वर्ष -

मास -

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	जीएसटीएन/अस्थायी आईडी	मांग आदेश संख्या	मांग आदेश तिथि	प्रतिदाय आदेश संख्या	प्रतिदाय की तारीख	(सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस) अधिनियम के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय की राशि					(सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस) अधिनियम के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय में से की गई वसूली					राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्यय की गई कुल रकम	केंद्र को प्रत्यय की गई कुल रकम		
						कर	व्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	कर	व्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य		केंद्रीय कर खाता	आईजीएसटी खाता	उपकर खाता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
कुल																			

संगत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79 (1) और 54(10)

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 07.01

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु समेकित निपटान रजिस्टर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष-

मास-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	प्रत्यय किया जाने वाली राशि	विकलन की जाने वाली राशि	कुल निपटान रकम
1.	रिटर्नों के संबंध में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच लेखों का निपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)			
2.	वसूली गई आईजीएसटी राशि, चक्रवृद्धि राशि और पूर्व जमा राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)			
3.	आपूर्ति का पता न लग सकने वाली जगह पर आईजीएसटी राशि का वितरण (एसटीएल 4.01)			
4.	प्रत्यय टिप्पण के जारी होने, अपील आदि फाइल करने के लिए पहले से ही विभाजित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)			
5.	प्रतिदाय में से की गई वसूली के कारण केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निपटान (एसटीएल 6.01)			
	कुल			

रिपोर्ट जीएसटी एसटीएल - 07.02

केंद्र के लिए समेकित निपटान रजिस्टर

[केंद्र माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर अथवा उपकर कसे बीच लेखा बही समायोजन]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-

वर्ष -

मास -

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	प्रत्यय की गई रकम	विकलन की गई रकम	कुल निपटान रकम
1.	रिटर्न के संबंध में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच लेखों का निपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)			
2.	वसूली गई आईजीएसटी राशि, चक्रवृद्धि राशि और पूर्व जमा राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)			
3.	आईजीएसटी राशि का वितरण जहां अवधारण नहीं हो सकता है (एसटीएल 4.01)			
4.	प्रत्यय टिप्पण के जारी होने, पूर्व जमा की वापसी के कारण पहले से ही समविभाजित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)			
5.	प्रतिदाय में से की गई वसूली के कारण केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निपटान (एसटीएल 6.01)			
	कुल			

टिप्पण :

- 1) एसजीएसटी/यूजीएसटी/सीजीएसटी की देनदारियां पूरी करने के लिए आईजीएसटी के प्रत्यय के परस्पर उपयोजन पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 के अधीन केंद्र और राज्य तथा इसके विपरीत क्रम में, के बीच निधियों का निपटान रिटर्न के फाइल करने के बाद इस बात के निरपेक्ष रहते हुए किया जाएगा कि रिटर्न की प्रस्थिति वैध है अथवा अवैध।
- 2) आईजीएसटी का निपटान कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल की गई वैध रिटर्न के आधार पर किया जाएगा।
- 3) आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत माल के आयात पर लगे आईजीएसटी का समविभाजन सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाएगा।
- 4) विकलन टिप्पण के जारी होने के कारण संगृहीत आईजीएसटीराशि का विभाजन मूल सारणी में किया जाएगा।
- 5) मास उस मास को दर्शाता है जिसमें समविभाजन किया गया है।
- 6) कर अवधि उस अवधि को दर्शाता है जिससे रिटर्न अथवा सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा दी गई सूचना संबंध रखती है।
- 7) एआरएन से अभिप्राय आवेदन संदर्भ संख्या है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 964(E).—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), section 17 and 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territories Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Goods and services Tax Settlement of funds Rules, 2017.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— (1) (a) “Authorities” means the Board, State Tax Nodal Authority, Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs and State Accounting Authorities of the respective States;

(b) “Board” means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963;

(c) “Government” means the Central Government;

(d) “input tax credit” means the credit of input tax;

(e) “registered person” means a person who is registered under section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, but does not include a person having a Unique Identity Number;

(f) “reports” means any report specified or otherwise required to be furnished by or under these rules;

(g) “State Accounting Authority” means Accounting Authority of any State as notified by the concerned State Government;

(h) “State Tax Nodal Authority” means the Taxation Authority of any State as notified by the concerned State government (s);

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the Union Territories of Goods and Services Tax Act, 2017 shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts.

3. Electronic transmission of the Reports.-

(1) The Goods and Services Tax Network shall transmit reports electronically to the Authorities as provided hereunder.

(2) The Reports, as referred to in sub-rule (1) shall be submitted-

(a) by 25th of the month in which Goods and Services Tax returns are submitted, in case of monthly reports; and

(b) by the 25th of October of the subsequent financial year, in case of annual reports, in case of report relating to non-unutilised input tax credit:

Provided that if 25th of the month is a holiday, then the report shall be sent by the first working day after the holiday:

Provided further that if the date of filing of return is extended, then the date of generation of settlement report shall stand extended accordingly and in case the return for September is filed late the report related to non-utilised input tax credit shall be sent accordingly.

4. Report of Cross-Utilisation and Apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Central (Integrated Tax) and Centre (Union Territory Tax).—

(1) The details relating to the transfer of funds to be made between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Centre (Integrated Tax) and Centre (Union territory Tax) shall be sent by Goods and Services Tax Network to the Authorities, in **FORMS GST STL 01.01 to GST STL – 01.12**, for each State and Union Territory, as follows—

(a) a monthly Consolidated statement for each State in **FORM GST STL – 01.01** containing the details referred to in clause (b) relating to the total amount to be transferred from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax), or vice-versa, on account of cross-utilisation of credit as per section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State(hereinafter referred to as State Goods and Services Tax Act), section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and

from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

- (b) the monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in **FORM GST STL – 01.01** are as under—

- (i) list of registered persons of the State or Union Territory who have adjusted liability of Integrated Tax from the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax and Central Tax, as provided under section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act, or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act (including cross utilisation by Input Service Distributor), as the case may be, in **FORM GST STL – 01.02**.

Note: The summary of Integrated Tax paid from the input tax credit of Central Tax and from the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax shall be reflected in column 3 of **FORMS GST STL 1.01** and **2.01** respectively;

- (ii) list of registered persons of the State or Union territory who have adjusted liability of State Tax or Union Territory Tax, as the case may be, from the input tax credit of Integrated Tax, as provided under section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 01.03**.

Note: The summary of State Tax/Union Territory Tax paid from the input tax credit of the Integrated Tax shall be reflected in column 4 of **FORMS GST STL 1.01**;

- (iii) list of registered persons or unregistered persons who have paid Integrated Tax in the following cases and the said Integrated Tax has to be apportioned as per the provisions of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act-

- (a) list of registered persons of other State or Union Territory who have made outward inter-State supply, including Input Service Distributor distribution, to unregistered persons or units of the concerned State or Union Territory or taxpayers who have made exports or have made supplies to SEZ on payment of tax, including non filers who have Integrated Tax credit available with them , in **FORM GST STL – 01.04**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 5 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (b) list of registered persons of other State or Union Territory who have made inter-State supply to composition taxable person or Non-resident taxpayer or Unique Identification Number holders of the State, in **FORM GST STL – 01.05**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax portion of Integrated Tax from this statement shall be reflected in column 6 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (c) list of registered persons of other State or Union Territory who have made inter-State inward supplies for which input tax credit is declared as ineligible as provided for in section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, or whose Integrated tax input tax credit has lapsed due to opting into composition scheme as provided for in sub-section (4) of section 18 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act or whose input tax credit of Integrated tax has lapsed due to cancellation of registration, in **FORM GST STL – 01.06**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 7 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (d) list of unregistered persons who have made imports in the concerned State or Union Territory, under clause (d) of sub-section (1) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 01.08**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 9 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (e) list of composition taxpayer or Unique Identification Number holders in a State or Union Territory who have made imports, in **FORM GST STL – 01.09**.

Note: The summary of Integrated tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 10 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (f) list of registered persons in a State or Union Territory who have made imports, on which input tax credit is declared as ineligible as provided for in section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 01.10**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 11 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (g) list of registered persons in a State or Union Territory who have paid interest on Integrated Tax, in **FORM GST STL – 01.12**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 13 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (iv) the following reports containing GSTIN-wise, State-wise details pertaining to the information contained in **FORM GST STL – 01.01** shall also be required to sent once a year—

- (a) list of registered persons in a State or Union Territory who have made inter-State inward supplies on which input tax remains unutilised till end of September of the subsequent financial year and thus input tax credit on Integrated Tax paid is not available as per sub-section (4) of section 16 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, and the said Integrated Tax paid is to be apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 01.07**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 8 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively;

- (b) list of registered persons in a State or Union Territory who have made import on which input tax credit remains unutilised till end of September of the subsequent financial year and thus input tax credit on Integrated Tax paid is not available as per sub-section (4) of section 16 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, and the said Integrated Tax paid is to be apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 01.11**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 12 of both **FORM GST STL 1.01** and **FORM GST STL 2.01**, respectively.

5. Report of Cross-Utilisation and Apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax).—

The details relating to the transfer of funds between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax) to be made in a particular month relating in **FORMS GST STL 02.01 to GST STL – 02.02**, are as follows:

- (a) a monthly consolidated statement containing State-wise details in **FORM GST STL – 02.01** containing the month-wise details relating to the total amount to be transferred from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax), or vice-versa, on account of cross-utilisation of credit as provided for in section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act;
- (b) monthly reports containing State-wise details containing list of registered persons who have adjusted liability of Central Tax from the input tax credit of Integrated Tax, as provided under section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL – 02.02**.

Note: The summary of Central Tax paid from the input tax credit of Integrated Tax shall be reflected in column 4 of **FORM GST STL 02.01**.

6. Report relating to apportionment of Integrated Tax recovered against demand, compounding amount paid and amount deposited for filing appeal between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).—

The details for a particular month relating to recoveries of Integrated Tax, and the interest and penalty thereon on the basis of a demand order, or compounding amount, or deposit made for filing appeal as provided for in sections 79, 107, 112 and 138 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act of the concerned State and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act for which input tax credit is not available as per sub-section (5) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act and the said Integrated Tax is to be

apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORMS GST STL 03.01 to GST STL – 03.02** shall be sent for each State and Union Territory, as follows:

- (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of amount recovered as Integrated Tax, and the interest and penalty thereon, or compounding amount, or deposited for filing appeal, to be apportioned to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in **FORM GST STL 03.01**;
- (b) list of registered persons in a State or Union territory from whom recovery of Integrated Tax has been made with interest and penalty thereon, or compounding amount against demand, or amount deposited for filing appeal of the Integrated Goods and Services Tax Act as provided for in sections 79, 107, 112 and 138 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act of the concerned State and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL 03.02**.

7. Report relating to apportionment of Integrated Tax amount, where place of supply could not be determined or taxable person making such supply is not identifiable, between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).—

The details relating to the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in a particular month, in **FORMS GST STL 04.01 to GST STL – 04.03** shall be sent for each State and Union Territory, as follows—

- (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in a particular month relating to Integrated Tax collected in respect of which place of supply could not be determined or the taxable person making such supplies is not identifiable, as provided under the proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL 04.01**;
- (b) list of registered persons from whom Integrated Tax has been collected in respect of which place of supply made by taxable person could not be determined, and is to be apportioned as provided under first proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL 04.02**;
- (c) the details of Integrated Tax has been collected in respect of which the taxable person making such supplies is not identifiable, and is to be apportioned as provided under second proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL 04.03** and this shall be an annual report to be submitted in October each year.

8. Report relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) due to Integrated Tax apportioned earlier but subsequently refunded.—

The details relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), in a particular month due to Integrated Tax apportioned earlier but subsequently refunded as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORMS GST STL 05.01 to GST STL – 05.12** shall be sent for each State and Union Territory, as follows—

- (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary wherein Integrated Tax paid by taxpayer has already been apportioned but subsequently refunded to the person due to various provisions of the Central Goods and Services Tax Act, State Goods and Services Tax Act and Union Territory Goods and Services Tax Act leading to a reduction in amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and from State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), in a particular month as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in **FORM GST STL 05.01**;
- (b) The monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in **FORM GST STL – 05.01** are as under:
 - (i) list of registered taxpayers who had made inter State supply of goods or services or both and the said Integrated Tax was already apportioned as per provisions of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act as the supply was not eligible for credit as per section 17 of Central Goods and Services Tax Act, State Goods and Services Tax Act and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act. The tax liability which was subsequently reduced due to issuance of credit notes or Input Services Distributor Credit notes to taxpayers for the said supply, as provided under sections 20 and 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in **FORM GST STL 05.02**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.1 of **FORM GST STL 5.01**;

- (ii) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to composition dealers, and whose tax liability was subsequently reduced due to issuance of credit notes to composition taxpayers, as provided under sections 10 and 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in **FORM GST STL 05.03**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.2 of **FORM GST STL 5.01**;

- (iii) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to unregistered persons, and whose tax liability was subsequently reduced due to issuance of credit notes to un-registered persons, as provided under section 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in **FORM GST STL 05.04**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.3 of **FORM GST STL 5.01**;

- (iv) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned, and whose demand was subsequently reduced due to refund of amount deposited for filing appeal and interest thereon, as provided under sections 107 and 112 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act) leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned, in **FORM GST STL 05.05**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.4 of **FORM GST STL 5.01**;

- (v) list of registered taxpayers from whom Integrated Tax was recovered with interest due to non-acceptance of a supply, by a supplier, and the input tax credit of the buyer was reversed with interest as provided under sections 42 and 43 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act) and the interest amount has been apportioned and upon the supplier subsequently accepting the supply, would result in reduction of amount of interest to be apportioned, in **FORM GST STL 05.06**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.5 of **FORM GST STL 5.01**;

- (vi) list of registered taxpayers where Integrated Tax paid was apportioned due to inter-State inward supplies for which input tax credit was declared as ineligible previously and was apportioned but has now become eligible, as provided under section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned in **FORM GST STL 05.07**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.6 of **FORM GST STL 5.01**;

- (vii) list of registered taxpayers where Integrated Tax recovered under section 79 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act) or paid consequent to a demand raised by the proper officer is apportioned, and the demand is subsequently reversed by appeal order, as provided under sections 107, 112, 113, 117 and 118 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned in **FORM GST STL 05.08**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.7 of **FORM GST STL 5.01**;

- (viii) list of registered taxpayers where the liability of payment of Integrated Tax is reduced due to an amendment in the amount payable after the payment on account of rectification of return as provided under sections 37, 38 and 39 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), and the excess Integrated Tax so paid has been apportioned, or registered taxpayers who claim refund on account of making zero rated supplies as provided under section 16 of the Integrated Goods and Services tax Act and is now to be reduced from the Central Tax and State Tax or Union Territory Tax, in **FORM GST STL 05.09**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.8 of **FORM GST STL 5.01**.

9. Report relating to recovery of various taxes from refunds.—

Report of settlement arising between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) on account of recovery of any tax, interest, penalty, fees or any other amount from refund, as provided in sub-section (10) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), shall be submitted in **FORM GST STL 06.01**.

10. Report relating to Consolidated Settlement Register for each State and Union Territory and for the Centre.-

- (1) A monthly consolidated settlement register for each State and Union Territory, in **FORM GST STL 07.01** shall be sent and this register shall give consolidated details of transfer of funds to be made from State Tax account to Central Tax account or Integrated Tax account and vice versa based on consolidated summary of settlement details contained in Report Form GST STL 1.01, 3.01, 4.01, 5.01 and 6.01.
- (2) A monthly consolidated settlement register for the Centre, in **FORM GST STL 07.02** shall be sent and this register shall give consolidated details of transfer of funds to be made from Central Tax account to Integrated Tax account and vice versa based on consolidated summary of settlement details contained in Report Form GST STL 1.01, 2.01, 4.01, 5.01 and 6.01.

11. Other provisions.—

- (1) **Issue of provisional sanction order for each month-** (a) The Principal Chief Controller of Accounts shall maintain a login based Centralized Accounting portal which shall be accessible to State accounting authorities, Central Board of Excise and Customs and State taxation authorities.
- (b) on the receipt of above ledgers, the Principal Chief Controller of Accounts shall calculate the net payment to be made from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa and shall upload a State-wise summary of the same on the Centralized Accounting portal within three working days of receipt of the data from Goods and Services Tax Network. Thereafter based on uploading of this data a provisional sanction order for the month shall be issued by Department of Revenue as per the procedure laid down in sub-rule (2).
- (2) **Resolution of any discrepancy in data provided by Goods and Services Tax Network:**
 - (a) On the basis of the above ledgers provided by Goods and Services Tax Network for every month, the Central and respective State Accounting Authorities, the Board and the State tax nodal authorities shall reconcile the details of the payments received, Input Tax Credit cross-utilisation and apportionment details received from Goods and Services Tax Network, and shall revert to Goods and Services Tax Network and Principal Chief Controller of Accounts in case of any discrepancy by 20th of the subsequent month.
 - (b) If any discrepancy is pointed out by the Central or State(s) Accounting Authority or Taxation Authority within this period, the Goods and Services Tax Network shall look into it and prepare a Revised Calculation, if required and send it again to both the Central as well as State Accounting, Taxation Authorities and Principal Chief Controller of Accounts by 25th of the month.
 - (c) Based on the revised calculation received from Goods and Services Tax Network and after having reconciled the discrepancy referred to in sub clause (a) and (b), in case any changes have been made with respect to any State, the Principal Chief Controller of Accounts shall calculate the net payment to be made from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa and shall upload a final Statewise summary of the same on the Centralised Accounting portal within three days of receipt of the revised data from Goods and Services Tax Network and based on uploading of this data a final sanction order for the month shall be issued by Department of Revenue as per the procedure laid down below—
 - (i) the Centralized Accounting Portal of Central Accounting Authority shall be used by the Department of Revenue, Ministry of Finance to download the details of the State-wise fund settlement with States.
 - (ii) a designated officer in the Department of Revenue shall issue the Sanction order of funds to be transferred from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa after obtaining necessary approvals of the competent authority.
 - (iii) the provisional sanction order for each month for each State shall be issued based on details uploaded by Principal Chief Controller of Accounts as per sub-rule (1).
 - (iv) the final sanction order for each month for each State, in case needed, shall be issued based on details uploaded by Principal Chief Controller of Accounts as per sub-rule (3) .
 - (v) the sanction orders shall be issued within three days of uploading of details of the State-wise fund settlement by Principal Chief Controller of Accounts.
 - (vi) the electronic Sanction (digitally signed) addressed to Central Accounting Authority containing State-wise details shall then be uploaded on the portal of the Central Accounting Authority (Office of Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs through login based system.
 - (vii) as the sanction letter will also contain the details of settlement, it shall be available in records of State Government for future reconciliation and audit purposes.
 - (viii) State Governments shall come to know about the fund being transferred by Centre through the sanction.

- (ix) Copy of sanction shall also be endorsed to concerned State Accountant General.
- (x) The Central Accounting Authority shall generate an Inter Government Advice on the basis of Sanction received from Department of Revenue and send it to Reserve Bank of India [Central Accounts Section, Nagpur] electronically within three days of issue of sanction order.
- (xi) Reserve Bank of India shall make the necessary fund settlement between the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of States of the respective State, on the basis of electronic Inter Government Advice; generate the 'Clearance Memo' and transmit the same to Central Accounting Authority and State Accounting Authorities and Accountant General.
- (xii) The Central Accounting Authorities shall make appropriate accounting entries at the time of issuance of inter Government Advice to Reserve Bank of India.
- (xiii) The respective State Accounting Authorities and Accountant General shall make appropriate accounting entries at the time of receipt of clearance Memo from Reserve Bank of India.

[F. No. 31013/16/2017-ST-I-DoR]

S. R. MEENA, Under Secy.

Report GST STL - 01.01

Statement of transfer of funds between Centre and State/UT based on returns, other than returns and information received from Customs authorities

[Sec 17 and 18 of IGST Act and Sec 53 of CGST/SGST Act]

State/UT -

Year -

Month -/ All

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Month	IGST liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (including cross utilization by ISD)	SGST/ UTGST liability adjusted against IGST ITC	SGST/ UTGST portion of IGST collected on B2C supplies including ISD distribution to unregistered unit, exports and supplies to SEZ	SGST/ UTGST portion of IGST for inter-State/UT supplies made to Composition taxable person/ Non-resident taxable person/ UIN holders	SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC is declared as ineligible, including lapsed ITC due to opting composition scheme
1	2	3	4	5	6	7

SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC remains unutilized till specified period	SGST/ UTGST portion of IGST collected on supplies imported by unregistered persons	SGST/ UTGST portion of IGST for supplies imported by Composition taxable persons/ / UIN holders	SGST/ UTGST portion of IGST collected on goods/services imported by registered person (other than composition) where ITC is declared as ineligible	SGST/ UTGST portion of IGST collected on goods imported by registered person where ITC remains unutilized till specified period	SGST/ UTGST portion of interest related to returns paid on IGST	Net Amount payable (-) by State/UT to Centre/ receivable (+) from Centre to State/UT [sum of col. 4 to 13 - col. 3]
8	9	10	11	12	13	14

Report GST STL - 01.02

List of registered persons of the State/UT who have adjusted IGST liability from ITC of SGST/ UTGST and CGST

(for col. 3 of 01.01& 02.01)

[Sec 53 of CGST/SGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross-utilization (Returns/Other than returns)	ARN/ IGST Demand id	Tax period of return	IGST paid from CGST ITC	IGST paid from SGST/ UTGST ITC
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Note: 1. Invalid return of supplier shall not be taken into consideration for the purpose of apportionment/settlement. Invalid return of buyer, however, shall be considered in case he uses cross utilization for payment of liability since the supplier has already made payment and revenue has accrued to the Government from supplier.

2. *In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, demand id will be mentioned.*

3. *ARN refers to Acknowledgement Reference Number of Return*

Report GST STL - 01.03

List of registered persons of the State/UT who have adjusted SGST/ UTGST liability from ITC of IGST

(for col. 4 of 01.01)

[Sec 18 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross-utilization (Returns/Other than returns)	ARN/ SGST/UTGST Demand id	ARN	Tax period of return	SGST/ UTGST paid from IGST ITC	CGST paid from IGST credit
1	2	3	4	5	6	7	8	
Total								

Note: Invalid return in case of cross-utilization will also be considered for settlement.

In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, demand id will be mentioned.

Report GST STL - 01.04

List of persons registered in other State/UT who have made outward inter-State supply, including ISD distribution, to unregistered persons or units of the State/UT (including Online Services supplied to unregistered persons) or taxpayers who have made exports or supplies to SEZ including non-return filers up to specified period.

(for col. 5 of 01.01& 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	State/UT of supplier	GSTIN of supplier	Category of Supply	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	GSTIN of non-return filers of the State, if any	IGST paid	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total										

Note: Column (4) shall be given in the following categories:

Category A : Inter State supplies made to unregistered persons or ISD distributed to unregistered units

Category B : Information relating to online services supplied to unregistered persons by persons located outside country.

Category C : Details of recipient taxable persons who have not filed the return till the specified period as provided for in section 37 and 38 of the CGST/SGST Act.

Category D : Details of recipient taxable persons who have received ITC credit post filing of annual return

Category E : Details of exports made with payment of tax

Category F : Details of supplies made to SEZ unit or SEZ developer with payment of tax.

Report GST STL - 01.05

List of other State/UT registered persons who have made inter-State supply to composition taxable person /Non-resident taxable person/ UIN holder of the State/UT

(for col. 6 of 01.01& 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	State/UT of supplier	GSTIN of supplier	Trade name (Legal name, if not available)	Category of persons	GSTIN of Recipient/ UIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	IGST paid	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

Note: Column 5 shall have following categories :

- Category A: Composition taxable persons,
- Category B: non-resident taxable persons and
- Category C : UIN holders

Report GST STL - 01.06

List of registered persons who have made inter-State inward supplies for which ITC is declared as ineligible including ITC lapsed due to opting into composition scheme

(for col. 7 of 01.01 & 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of recipient	Category of ITC to be distributed	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return/ Month of filing Stock intimation	Amount of IGST available for distribution	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total								

Note : 1. Relevant section for claiming and reversing ITC - Section 17(5) and 18(4) of CGST/SGST Act

2. Categories of Column 3 shall be as follows :

Category A : Supply for which ITC is ineligible as per section 17(5) of CGST/SGST Act

Category B : ITC lapsed due to opting for composition scheme as per section 18(4) of CGST/SGST Act

Category C : ITC lapsed due to cancellation of Registration as per section

Report GST STL - 01.07

List of registered persons who have made inter-state inward supplies on which ITC remains unutilized till specified period

(for col. 8 of 01.01 & 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Unavailed IGST ITC available for distribution	SGST/ UTGST portion of unutilized portion of IGST	CGST portion of unutilized portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Note: This report will include the details of those recipient taxable persons who have filed the return but not claimed ITC till the specified period as provided for in section 37,38 and 44 of CGST/SGST Act

Report GST STL - 01.08

List of unregistered persons who have made import of goods
(for col. 9 of 01.01 & 02.01)
[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Name of unregistered Person	Address	IGST paid including interest, if any	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6
Total					

Note: This report will include details of persons as received from Customs authorities, if made available.

Source: Import data from Custom authorities

Report GST STL - 01.09

List of composition taxable person/ UIN holder who have made imports
(for col. 10 of 01.01 & 02.01)
[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of importer/UIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of taxpayers	ARN, if any	Tax period	Goods/ Services (G/S)	IGST paid	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Note:

1) *This report will include information about import of goods as received from custom authorities.*

2) *Data of import of services will be as declared in return*

3) *Column 5 shall have following categories :*

(a) *Category A: Composition taxable persons, and*

(b) *Category B : UIN holders*

Report GST STL - 01.10

List of registered persons who have made import on which ITC is declared as ineligible
(for col. 11 of 01.01 & 02.01)
[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of importer	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	IGST available	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Report GST STL - 01.11

List of registered persons who have made import on which ITC remains unutilized till specified period as provided for in section 37,38 and 44 of CGST/SGST Act

(for col. 12 of 01.01 & 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of importer	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Unavailed IGST ITC available for distribution	SGST/UTGST portion of unutilized portion of IGST	CGST portion of unutilized portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Note: This report will cover the cases which were not reported by importer in his GSTR 2/ GSTR 5

Report GST STL - 01.12

List of registered persons who have paid interest on IGST related to returns

(for col. 13 of 01.01 & 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Interest on IGST paid	SGST/UTGST portion of interest paid on IGST	CGST portion of interest paid on IGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Note:

1) The interest will be apportioned among the States of recipient.

Report GST STL - 02.01

State/UT wise book adjustment between CGST and IGST based on returns, other than returns and information received from Customs authorities

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	IGST Liability adjusted against CGST ITC (including cross utilization by ISD)	CGST Liability adjusted against IGST ITC	CGST portion of IGST collected on B2C supplies including ISD distribution to unregistered unit	CGST portion of IGST for inter-State supplies made to Composition taxable person /Non-resident taxable person/ UIN holders	CGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC is declared as ineligible, including lapsed ITC due to opting composition scheme
1	2	3	4	5	6	7

CGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC remains unutilized till specified period	CGST portion of IGST collected on supplies imported by unregistered persons	CGST portion of IGST for supplies imported by Composition taxable persons/ / UIN holders	CGST portion of IGST collected on goods/services imported by registered person (other than composition) where ITC is declared as ineligible	CGST portion of IGST collected on goods imported by registered person where ITC remains unutilized till specified period	CGST portion of interest related to returns paid on IGST	Net Amount payable (-) by Central tax account to IGST a/c/ receivable (+) from IGST account to Central tax a/c [sum of col. 4 to 13 - col. 3]
8	9	10	11	12	13	14
	Total					

Report GST STL - 02.02

List of registered persons who have adjusted CGST liability from ITC of IGST

(for col. 4 of 02.01)

[Sec 18(a) of IGST Act]

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross-utilization (Returns/Other than returns)	ARN/ Demand id	Tax period of return	CGST paid from IGST ITC
1	2	3	4	5	6	7
Total						

In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, demand id will be mentioned.

Report GST STL - 03.01

Distribution of IGST amount recovered against demand, compounding amount paid and amount deposited for filing appeal
[Sec 17 of IGST Act]

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	Category of IGST amount to be distributed	Amount of IGST recovered or deposited for filing appeal					Amount apportioned	
			Tax	Interest	Penalty	Compounding amount	Total	CGST portion of the IGST	SGST/UTGST portion of the IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total							

Note:

1) Relevant Section: Sec 79, Sec 107, Sec 112 and Sec 138 of CGST/SGST Act

2) Category mentioned in column 3 above shall be as follows :

(a) Category A : IGST amount recovered on demand under section 79 of CGST/SGST Act

(b) Category B : IGST amount deposited for filing appeal under section 107,112 of CGST/SGST Act

(c) Category C: IGST compounding amount deposited under section 138 of CGST/SGST Act

Report GST STL - 03.02

List of registered persons from whom IGST amount recovered against demand, compounding amount paid and amount deposited for filing appeal

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Order number	Order date	Category of IGST amount to be distributed	Debit entry of cash ledger	Debit entry of credit ledger	Recovery under IGST head or deposit made for filing appeal					Amount apportioned	
								Tax	Interest	Penalty	Compounding amount	Total	CGST	SGST/UTGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total														

Note:

1) Relevant Section: Sec 79, Sec 107, Sec 112 and Sec 138 of CGST/SGST Act

2) Category mentioned in column 6 above shall be as follows :

(a) Category A : IGST amount recovered on demand under section 79 of CGST/SGST Act

(b) Category B : IGST amount deposited for filing appeal under section 107,112 of CGST/SGST Act

(c) Category C: IGST compounding amount deposited under section 138 of CGST/SGST Act

Report GST STL - 04.01

Distribution of IGST amount where place of supply or taxable person could not be determined
[Sec 17 of IGST Act]

State/UT

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	Distribution of IGST where POS not known		Distribution of IGST where taxable person is not known		Total amount distributed	
	SGST/ UTGST portion	CGST portion	SGST/ UTGST portion	CGST portion	SGST/ UTGST	CGST
1	2	3	4	5	6	7
Total						

Report GST STL - 04.02

List of taxable persons from whom IGST has been collected and place of supply could not be known
[Sec 17 of IGST Act]
(For column 2 and 3 of 4.01)

Year -

Month -

- GSTIN of supplier
- Amount of IGST to be distributed
- CGST Portion out of the amount mentioned at (b)
- Balance amount to distributed among States/UT's (b-c)

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT to whom supplies were made in previous period	Amount of supplies made to state	Ratio of supplies	SGST/ UTGST portion of IGST
1	2	3	4	5
Total				

Note - Apportionment is to done in the State/UT in same proportion in which supplies were made to each state

Report GST STL - 04.03

Distribution of IGST that has been collected where taxable person is not known
[Sec 17 of IGST Act]
(For column 4 and 5 of 4.01)

Year -

Month -

- Amount of IGST to be distributed
- CGST Portion out of the amount mentioned at (a)
- Balance amount to distributed among States/UT's (a-b)

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	Amount of tax collected in previous year	Ratio of Tax collected	SGST/ UTGST portion of IGST
1	2	3	4	5
Total				

Note - Apportionment is to done in the ratio of tax collection in the preceding year.

Report GST STL - 05.01

State-wise consolidated statement showing a summary wherein Integrated Tax paid by taxpayer has already been apportioned but subsequently the liability of Integrated tax of the taxpayer is reduced due to various provisions of the CGST Act, SGST Act and UTGST Act leading to a reduction in amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and from State (State Tax)/Centre (Union Territory Tax)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT/All -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Description	Reduction in amount	
		SGST/ UTGST	CGST
1	2	3	4
1.	Issue of credit notes by suppliers where supply not eligible for ITC as per section 17 of CGST Act, SGST Act and section 21 of UTGST Act (details coming from STL 5.02)		
2.	Reduction due to issue of credit notes to Composition taxable person (details coming from STL 5.03)		
3.	Reduction due to issue of credit notes to unregistered persons (details coming from STL 5.04)		
4.	Reduction due to refund of deposit made for filing appeal alongwith interest (details coming from STL 5.05)		
5.	Reduction on account of interest apportioned earlier on account of mismatch of ITC/Credit Note but now reclaimed (details coming from STL 5.06)		
6.	Amount apportioned on account of inter-State inward supplies for which ITC was declared as ineligible but now becomes eligible (details coming from STL 5.07)		
7.	Amount apportioned on account of recovery of outstanding dues and subsequently refunded with interest due to appeal order (details coming from STL 5.08)		
8.	Reduction due to – (a) Amendment in returns, or (b) Release of refund in specified categories (c) Any other reason of the amount already apportioned (details coming from STL 5.09)		
	Total		

Report GST STL - 05.02

(for S.No. 1 of 5.01)

List of registered taxpayers who had made inter State supply of goods or services or both and the said Integrated Tax was already apportioned as per provisions of section 17(2) of the IGST Act as the supply was not eligible for credit as per section 17 of CGST Act, SGST Act and section 21 of UTGST Act. The demand was subsequently reduced due to issuance of credit notes/ ISD Credit notes to taxpayers for the said supply

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of supplier	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Credit note no.	Credit note date	Amount of IGST involved in the note	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Relevant section - Section 20 and 34(2) of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.03

(for S.No. 2 of 5.01)

List of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to composition dealers, and whose demand was subsequently reduced due to issuance of credit notes to composition taxpayers

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Credit note no.	Credit note date	Amount of IGST involved in the note	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Relevant section - Section 10 and 34(2) of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.04

(for S.No. 3 of 5.01)

List of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to unregistered persons, and whose demand was subsequently reduced due to issuance of credit notes to un-registered persons

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of supplier	ARN	Tax period of return	Credit note no.	Credit note date	Amount of IGST involved in the note	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total								

Relevant section - Section 34(2) of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.05

(for S.No. 4 of 5.01)

List of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned, and whose demand was subsequently reduced due to refund of pre-deposit and interest

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN/ Temporary ID	Trade name (Legal name, if not available)	Appeal order no.	Appeal order date	Demand Order Number	Demand Order Date	Amount of IGST deposit made for filing appeal	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST	Amount of interest accrued due to refund of pre- deposit	SGST/ UTGST portion of interest	CGST portion of interest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												

Relevant section - Section 107 and 112 of CGST/SGST Act along with Section 56 of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.06

(for S.No. 5 of 5.01)

Reduction due to interest apportioned earlier on account of mismatch of ITC/Credit Note but now reclaimed

(List of taxpayers)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of IGST available for distribution (mismatch of ITC/mismatch of Credit note)	Original Invoice number/Credit Note number	Date of original Apportionment	Reclaim Date	Amount of Interest reclaimed	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Relevant Section number: Sec 42(7) and Sec 43(7) of CGST/SGST Act.

Report GST STL - 05.07

(for S.No. 6 of 5.01)

Reduction due to inter-State inward supplies for which ITC was declared as ineligible but now becomes eligible

(List of taxpayers)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN number	Tax Period of ARN	Invoice number in which ITC was declared ineligible, if any	Invoice date in which ITC was declared ineligible, if any	Amount of ITC declared as ineligible earlier	Amount of ITC now claimed as eligible	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total										

Relevant section - Section 17(5) of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.08

(for S. No. 7 of 5.01)

Reduction due to recovery of outstanding dues and subsequently refunded due to appeal order and interest thereof

(List of taxpayers)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Demand Order Number	Demand Order date	Appeal Order Number	Appeal Order Date	Amount of outstanding dues refunded due to appeal order	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST	Amount of interest due to refund (col. 8)	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												

Relevant section - Sec 79, 107, 112, 117 and 118 of CGST/SGST Act along with Sec 50 of CGST/SGST Act

Report GST STL - 05.09

(for S.No 8 of 5.01)

List of registered taxpayers where the liability of payment of Integrated Tax is reduced due to an amendment in the amount payable after the payment on account of rectification of return or who have claimed refund of supplies or any other reduction

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN/UIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of ARN	Reduction due to Amendment of amount already apportioned.	SGST/UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Relevant Section: Section 37(3), 38(5), 39(a) and 55 of CGST/SGST Act and section 16 of IGST Act

Note : Column (4) shall be given in the following categories

Category A : Reduction due to rectification of return

Category B : Reduction on account of refund to UIN holders

Category C : Reduction due to refund against exports or supplies to SEZ

Category D : Reduction due to any other reason

Report GST STL - 06.01

Settlement between Centre and State/UT on account of recovery made out of refund

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	GSTIN/ temporary ID	Demand order no.	Demand order date	Refund order number	Refund date	Amount of refund claimed under Act (CGST/SGST/ UTGST/IGST/CESS)				
						Tax	Interest	Penalty	Fees	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Amount of recovery made out of refund claimed (CGST/SGST/UTGST/IGST/CESS)					Net amount to be credited to State/UT	Net amount to be credited to Centre		
Tax	Interest	Penalty	Fees	Others		Central tax a/c	IGST a/c	Cess a/c
12	13	14	15	16	17	18		
Total								

*Relevant Section: Section 79(1) and 54(10) of CGST/SGST Act***Report GST STL - 07.01**

Consolidated Settlement Register for State/UT

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	Details	Amount to be credited	Amount to be debited	Net Settlement Amount
1.	Settlement of accounts between Centre and State/UT relating to Returns (GST STL 1.01)			
2.	Distribution of IGST amount recovered, compounding amount and amount of pre-deposit (STL 3.01)			
3.	Distribution of IGST amount where place of supply could not be determined (STL 4.01)			
4.	Reduction of the amount apportioned already due to issue of credit notes, refund of deposit made for filing appeal etc. (STL 5.01)			
5.	Settlement between Centre and State/UT on account of recovery made out of refund (STL 6.01)			
	Total			

Report GST STL - 07.02

Consolidated Settlement Register for Centre
(Book adjustment between CGST, IGST or Cess)

State/UT /All-

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	Details	Amount Credited	Amount Debited	Net Settlement Amount
1.	Book adjustment between CGST and IGST for a State/UT relating to Returns (STL 2.01)			
2.	Distribution of IGST amount recovered, compounding amount and amount of pre-deposit (STL 3.01)			
3.	Distribution of IGST amount where place of supply could not be determined (STL 4.01)			
4.	Reduction of the amount apportioned already due to issue of credit notes, refund of pre-deposit etc. (STL 5.01)			
5.	Settlement between Centre and State/UT on account of recovery made out of refund (STL 6.01)			
	Total			

Notes:

- 1) Settlement of funds between Centre and States under section 53 of CGST/SGST Act and section 18 of IGST Act on cross- utilization of credit of IGST for discharging liabilities of SGST/ UTGST, CGST and vice-versa shall be made after filing of return irrespective of return status whether valid or invalid.
- 2) Apportionment of IGST will be done on the basis of valid return filed by the taxable person.
- 3) Apportionment of IGST borne on import of goods, under section 17 of IGST Act, will be done on the basis of information received from Customs authorities.
- 4) Apportionment of IGST amount collected due to issue of debit note will be done in original tables.
- 5) Month represents the month in which apportionment is being done
- 6) Tax period represents the period to which the return or the information supplied by Custom authority pertains
- 7) ARN refers to Application Reference Number